मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करायें:—पुलकित खरे

05. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबन्ध में एक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी पुलकित खरे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया।

जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित नगर पालिका/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद, निराश्रित, निर्धन परिवार की विवाह योग्य कन्या/विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सामाजिक /धार्मिक मान्यता एवं परम्परा /रीति रिवाज के अनुसार व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म—समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित की गई है।

उन्होने कहा कि जिन नगर पालिकाओं में अभी तक समिति नही बनाई गई है वह तत्काल समिति बनाकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का पम्पलेट/लाउडस्पीकर से व्यापक प्रचार प्रसार करायें और दिये गये लक्ष्य के अनुरूप पात्र लोगों के आवेदन प्राप्त करें। उन्होने कहा कि नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों तथा ब्लाक स्तर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदन प्राप्त कर सत्यापन के बाद स्वीकृत करते हुये जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किये जायेंगे। जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदन प्राप्त करने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जाये।

इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़कों का संयुक्त रूप से पंजीकरण निर्धारित प्रारूप पर आफलाइन आवेदन किये जायेंगे तथा आवेदन पत्र के अलावा कन्या व वर को दो—दो फोटो अलग से देनी होंगी और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र विकास खण्ड कार्यालयों पर तथा नगर पालिका परिषद/पंचायत के आवेदन पत्र पालिका कार्यालयों पर प्रेषित किये जायेंगें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार सहित सभी अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।

————————————————